(264)

II/नि०/सिंगरौली/2018/0330

कुमार/ख

न्यायालयश्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी प्रकरण क्रमांक

बृजेश कुमार पिता लाले यादव उम्र 25 वर्ष पेशाकृषि,

निवासी ग्राम अजगुढ, तहसील चितरंगी जिला सिगरौली म०प्र०

---- आवेदक/निगराकार

अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार
अग्निहोत्री द्वारा पेश। 10-01-18

वनाम

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

परस कुमार पिता मागीरजी यादव साकिन अजगुढ, तहसील चितरंगी जिला सिगरौली म०प्र० --------- अनावेदक/ गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेशश्रीमान् नायब तहसीलदार तहसील चितरंगी वृत्त दुधमनिया जिला सीधी वर्तमान जिला सिगरौलीके रा०प्र०क्र० 353/अ19:4:/96-97मे पारित आदेश दिनांक 27-5-97 जिसके द्वारा आ०न० 110/1ख/8 रकवा 1-000 हे० मौजा अजगुढ तहसील चितरंगी जिला सीधी वर्तमान सिगरौली के द्वारा अना० केम्पामे दखल रहित अधि० 2अक्टूबर84 के तहत पारित कियागया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहिता सन 1959ई०

मान्यवर,

प्रकरणका संक्षिप्त विवरण

आवेदक एवम अनावेदक केपिता आपसमे सगेभाई है, विवादित

264

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / सिंगरौली / भू–रा0 / 2018 / 0330 जिला– सिंगरौली

वृजेश कुमार यादव / परस कुमार यादव

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ना0 तहसीलदार, वृत्त दुधमनिया, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 353 / अ–19(4) / 1996–1997 में पारित आदेश दिनांक 27.05.1997 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 23.01.19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	